न्यायालय न्यायनिर्यर्णन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी — श्री मुरारी लाल शर्मा, आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर : 21 / 2023

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्झुनू।

बनाम

1. श्री पवन कुमार पुत्र श्री राधेश्याम चिरानिया, मैसर्स महावीर प्रसाद पवन कुमार, मैन मार्केट, नवलगढ, जिला झुन्झुनू।
2. श्रीमती तारा देवी रावत(प्रोपराइटर), मैसर्स सुरेश कुमार राजेश कुमार, डी–42 आदर्श नगर शॉपिंग सेन्टर, साकेत कॉलोनी, जयपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

उपस्थितिः–
1. आवेदक की ओर से ....आवेदक स्वयं।
2. अनावेदक संख्या 1 व 2 की ओर से ....अनावेदक स्वयं।

–निर्णय– **दिनांक : 28.08..2023**

श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू ने एक प्रार्थना पत्र एफ.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो सक्षेंप में निम्न प्रकार है :– कि आवेदक श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू में कार्यरत है। आवेदक को राज्य सरकार द्वारा बतौर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिला झुन्झुनू का समस्त क्षेत्र आंवटित हुआ है। आवेदक द्वारा अपना कर्तव्य पालन करते हुए दिनांक 09.01.2023 को मैसर्स महावीर प्रसाद पवन कुमार, मैन मार्केट, नवलगढ जिला झुन्झुनू का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण दुकान पर अनावेदक श्री पवन कुमार पुत्र राधेश्याम उपस्थित मिला जिसने स्वयं को दुकान का विक्रेता होना जाहिर किया। जिस पर अनावेदक से खाद्य पदार्थ लाइसेंस दिखाने के लिए कहा गया तो अनोवदक ने खाद्य सुरक्षा लाईसेंस होना जाहिर किया।

निरीक्षण के दौरान उक्त दुकान पर दो कार्टून में 1 लीटर पैकिंग में खाद्य प्रदार्थ REFINED GROUNDNUT OIL (CHANDI SIKKA) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य प्रदार्थ REFINED GROUNDNUT OIL (CHANDI SIKKA) में से सैम्पल लिया गया। सैम्पल को जांच हेतु भिजवाया जाने की प्रक्रिया पूरी कर सैम्पलो पर गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके

पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर अनावेदक व गवाहन को पढकर सुनाया तथा समझाया जाकर फर्द पर अनावेदक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पैक सैम्पल को खाद्य विश्लेषक जयपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ के मिसब्रान्ड फुड (Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i)) आने पर प्रार्थना पत्र तैयार कर सैम्पल लेते समय की गई समस्त कार्यवाही के दस्तावेज तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न कर प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक को प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि सहित तलबी जारी की गई। जिस पर अनावेदक ने स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रार्थना पत्र में बहस अन्तिम सुनी गई।

अनावेदक/अभियुक्त संख्या 1 का कथन है कि उसकी मैन मार्केट, नवलगढ, झुन्झुनू में मै0 महावीर प्रसाद पवन कुमार के नाम से दुकान है जहां वह खाद्य पदार्थ REFINED GROUNDNUT OIL (CHANDI SIKKA) का बेचान करता है। उसकी दुकान से खाद्य पदार्थ REFINED GROUNDNUT OIL (CHANDI SIKKA) का सैम्पल लिया गया था जो कि उसने अनावेदक संख्या 2 मै0 सुरेश कुमार राजेश कुमार, डी–42, आदर्श नगर शॉपिंग सेन्टर, साकेत कॉलोनी जयपुर से जरिये पक्के बिल पैक्ड खरीदा था तथा पैकिंग ही बेचान करते है। अनावेदक संख्या 1 ने अनावेदक संख्या 2 से खाद्य पदार्थ REFINED GROUNDNUT OIL (CHANDI SIKKA) की खरीद का पक्का बिल भी प्रस्तुत किया। अतः जो भी नियमानुसार कार्यवाही हो वह अनावेदक संख्या 2 के की जाये।

अनावेदक/अभियुक्त संख्या 2 का कथन है कि उसकी डी–42, आदर्श नगर शॉपिंग सेन्टर, साकेत कॉलोनी जयपुर में मै0 सुरेश कुमार राजेश कुमार, के नाम से फर्म है जहां वह खाद्य पदार्थ तैयार कर बेचान करता है। अनावेदक संख्या 1 की दुकान से लिया गया सैम्पल REFINED GROUNDNUT OIL (CHANDI SIKKA) उसी की फर्म द्वारा तैयार किया गया है। अनावेदक संख्या 2 ने निवेदन किया कि अनावेदक संख्या संख्या 1 की दुकान से लिया गया सैम्पल मानक अनुसार ही है। लेकिन लेबल का स्टॉक पुराना था पैकिंग स्टाफ ने भूलवश काम मे लिया था। आगे से वह नये लेबल काम में लेगें जिसकी एक कॉपी जबाब के साथ सलंग्न है। अतः उनके विरूद्ध कम से कम जुर्माना लगाया जाये।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 **एल.एस./40/एक्ट/2023/102 दिनांक 17.01.2023** के अनुसार खाद्य पदार्थ REFINED GROUNDNUT OIL (CHANDI SIKKA) मिसब्रान्ड फुड (Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i)) पाया गया है। जो खाद्य सुरक्षा नियम की धारा 3(1)(zf)(C)(i) खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के उल्लघन की श्रेणी में आता है। चूँकि अनावेदक संख्या 1 ने अनावेदक संख्या 2

से खाद्य पदार्थ की खरीद का पक्का बिल प्रस्तुत किया है तथा खाद्य पदार्थ पैक्ड खरीद कर पैक्ड ही बेचान करता है। लेकिन बावजूद इसके अनावेदक संख्या 1 भी अनोवदक संख्या 2 द्वारा तैयार खाद्य पदार्थ के लाभांश में भागीदार है तथा एक व्यवसायी होने के कारण लेबलिंग आदि का जानकार है। इसलिए प्रकरण में अनावेदक संख्या 1 को निर्दोष नही माना जा सकता है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुये अनावेदक संख्या 1 श्री पवन कुमार पुत्र श्री राधेश्याम चिरानियां, मैसर्स महावीर प्रसाद पवन कुमार, मैन मार्केट, नवलगढ, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में 10,000/– दस हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है।

चूंकि अनावेदक संख्या 2 अपनी फर्म मै0 सुरेश कुमार राजेश कुमार, में खाद्य पदार्थ REFINED GROUNDNUT OIL (CHANDI SIKKA) स्वयं तैयार कर बेचान करता है तथा स्वयं फर्म मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ REFINED GROUNDNUT OIL (CHANDI SIKKA) के मिसब्रान्ड फुड (Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i)) पाया जाने आने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों को देखते हुये अनावेदक संख्या 2 श्रीमती तारा देवी रावत (प्रोपराइटर), मैसर्स सुरेश कुमार राजेश कुमार, डी–42 आदर्श नगर शॉपिंग सेन्टर, साकेत कॉलोनी, जयपुर को धारा 26 की उपधारा (2) (ii) को दोषी मानकर प्रकरण में 25,000/– पच्चीस हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28-8-2023

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू